न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2026 G.C.M.S. No. 2026/118 दर्ज दिनांक : 13.02.2026

अपीलार्थिगणः

1. सालवाराम पुत्र भावाराम जाति कलबी, निवासी भलाणी, साउली की ढाणी पमाणा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मोतीराम पुत्र भावाराम जाति कलबी, निवासी भलाणी, साउली की ढाणी पमाणा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवासाम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2025

पैरोकारः–

1. श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मुकेश सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवासाम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2025 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोतीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि मौजा भलाणी साउओ की ढाणी पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर में खेत खसरा संख्या 92, 93, 94, 98 स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा अलग अलग अमलदरामद करवाना चाहता है, इस हेतु वादी ने प्रतिवादी को आपसी सहमति से बंटवाड़ा किये जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रतिवादी ने मना कर दिया। वादी ने अपने 1/2 हिस्से को दिन रात मेहनत कर उपजाउ बनाया, चूंकि वादी के बंट में अन्य खेत वादग्रस्त खेतो से करीब 5 किमी. दूरी पर है तथा वादी की रहवासी ढाणी भी 5 किमी दूर है इस स्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी वादी के बंट के खेतो की माठे तोड़ता रहता है तथा वादी के बंट के खेतो की में घुसने की मंशा रखता है। इस कारण वादी अपने बंट के खेतो की अलग तरमीम करवाना चाहता है। प्रतिवादी वादी को 1/2 हिस्सा पूरा न देकर कम जमीन देना चाहता है, ऐसी सूरत में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादी को नोटिस से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तलब किया, परन्तु प्रतिवादी को तामिल नहीं होने के बावजूद भी उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिससे प्रीज्यूडिस होकर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, अपीलांट को नोटिस प्रेषित किये थे, जो नोटिस अपीलांट को कभी प्राप्त नहीं हुए थे, वादी द्वारा भेजी गई रजिस्ट्री की रसीद पेश की, जिस रसीद के आधार पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट की तामिल पूर्ण मान ली गई, जबकि उक्त रसीद से भेजी डाक अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई, ना ही रजिस्ट्री की ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे साफ हेाता हो कि अपीलांट को नोटिस की तामिल पूर्ण हो चुकी हो। बिना तामिल हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी किये है। अपीलांट को विधिवत तामिल करवाकर उपरोक्त पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखता, जिससे मौके की सच्चाई न्यायालय के सामने आती तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में न्यायालय को सुविधा होती, परन्तु विधिवत तामिल करवाये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.11.2024 को पत्रावली प्रस्तुत होती है एवं दिनांक 19.06.2024 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किया जाता है एवं दिनांक 06.08.2024 को पी.डब्ल्यू. 01 व 02 के बयान करवाये जाते है, उसी रोज साक्ष्य बंद कर बहस अतिम में नियम की। उसके पश्चात प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जाती है, तब तक अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं होन से उपरोक्त पत्रावली अपीलांट उपस्थित होने में असमर्थ रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक कायम किये बिना ही पत्रावली में पी.डब्ल्यू. 1 व 2 के बयान लेखबद्ध किये गये, विधि की मंशा अनुसार वाद में विवाद्यक कायम किये जाने आज्ञापक सिद्धान्त है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक में रखकर विवाद्यक कायम नहीं किये, इस कारण पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित कर अन्तिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 01.09.2025 को पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

1. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2024 को वादी व प्रतिवादीगण के बीच माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाया जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सांचौर से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 31/2026 अनवान सावलाराम बनाम मोतीराम में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से उक्त डिक्री के अनुक्रम में संपादित पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा विभाजन प्रस्ताव, विचारण एवं अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।
2. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान मोतीराम बनाम सालवाराम में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 01.09.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सुहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांचोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिस्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली